बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

अंतर–महाविद्यालय प्रतियोगिता नियम

जय नारायण व्यास विष्वविद्यालय, जोधपुर के बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स के अंतर्गत विष्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न महाविद्यालयों, संस्थानों तथा संकायों आदि के मध्य विभिन्न खेलों/स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। इस प्रतियोगिता का नाम "अंतर–महाविद्यालय प्रतियोगिता" है। इन नियमों में विष्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों, संस्थानों तथा संकायों को आगे "महाविद्यालय" नाम से सम्बोधित किया गया है। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन निम्न नियमानुसार किया जाएगा, जिन्हें "अंतर–महाविद्यालय प्रतियोगिता नियम" के नाम से सम्बोधित किया गया है। इन नियमों में नए नियमों के निर्माण अथवा नियमों में संषोधन करने का अधिकार बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स की "एक्जीक्युटिव कमेटी" को प्राप्त है।

पात्रता

1. अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में विष्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न संकाय, महाविद्यालय, संस्थान आदि भाग ले सकते हैं। इन सभी को आगे "महाविद्यालय" शब्द से सम्बोधित किया गया है।

2. अगर किसी महाविद्यालय ने विष्वविद्यालय/बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स के किसी बकाया का भुगतान नहीं किया है तो वह जब तक बकाया भुगतान करके "नो–ड्यूज" प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है।

3. महाविद्यालय का एक मूल विद्यार्थी जोकि भारतीय विष्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) के नवीनतम नियमानुसार पात्रता रखता हो, वही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। भाग लेने वाले विद्यार्थी से संबंधित सभी विवरणों को निष्चित पात्रता–प्रारूप में सही भरकर महाविद्यालय के प्रधान द्वारा जांच कर उसकी सत्यता प्रमाणित करने हेतु प्रारूप पर हस्ताक्षर करने होंगे। ऐसा नहीं करने पर विद्यार्थी को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

4. अंतर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी 10वीं, 12वीं एवं कॉलेज की सभी कक्षाओं की मूल अंकतालिकाएं मय एक–एक फोटोप्रति तथा पासपोर्ट साइज की चार फोटो, कॉलेज में प्रवेष की रसीद निष्चित रूप से अवष्य साथ में लाएं, अन्यथा प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। इसकी सम्पूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रषासन एवं संबंधित खिलाड़ी का होगा।

5. मुख्य परीक्षा में जिन छात्रों का परिणाम वैकल्पिक विषयों में पूरक घोषित हुआ है, वे छात्र अंतर–महाविद्यालय / अंतर–विष्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकेंगे। पूरक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर भी वे केवल नियमित विद्यार्थी होने पर ही भाग ले सकेंगे।

6. टीम मैनेजर को निष्चित पात्रता प्रारूप की तीन कॉपी प्रतियोगिता के आयोजन सचिव को प्रतियोगिता महाविद्यालय पर पहुंचते ही अविलम्ब जमा करवानी होगी। आयोजन सचिव इसकी दो प्रतियां जांच कर प्रमाणित करेगा कि भाग लेने वाले खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता रखते हैं तथा यह दोनों प्रतियां सचिव, बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स को भेजेगा। इन दो प्रतियों में से एक प्रति सचिव, बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स अगले वर्ष की प्रतियोगिता के आयोजन सचिव को भेजेंगे।

7. अगर किसी टीम में पात्रता नहीं रखने वाला खिलाड़ी भाग लेता है तो उस महाविद्यालय की टीम को उस खेल में इस वर्ष एवं अगले वर्ष की प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे अगर यह दोष विद्यार्थी के स्वयं द्वारा गलत सूचना के आधार पर हुआ है तो उस विद्यार्थी को भविष्य में विष्वविद्यालय द्वारा होने वाले सभी आगामी वर्षों की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

प्रतियोगिता में प्रविष्टि

1. प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक महाविद्यालय प्रतिवर्ष संयुक्त प्रविष्टि शुल्क पुरूष टीम हेतु रू.2000/– तथा महिला टीम हेतु रू.1000/– सचिव, बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स को 15 जुलाई तक जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे।

2. जिस प्रतियोगिता में महाविद्यालय भाग लेना चाहते हैं, उसके आयोजन सचिव, को महाविद्यालय की प्रविष्टि उस महाविद्यालय के प्रधान/खेल अधिकारी द्वारा, बोर्ड द्वारा बताई गई प्रविष्टि की अंतिम तिथि तक पहुंचा देनी चाहिए, तथा इसकी एक प्रति सचिव, बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स को प्रेषित करनी चाहिए। इस प्रविष्टि के नीचे "प्रमाणित किया जाता है कि महाविद्यालय ने प्रविष्टि शुल्क तथा बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स एवं विष्वविद्यालय के सभी बकाया चुका दिए है।" प्रमाणित करना अनिवार्य है।

3. अगर प्रतियोगिता में प्रविष्टि भेजने के पश्चात् वह टीम उस प्रतियोगिता में भाग लेने में असमर्थ है, तो इसकी सूचना प्रतियोगिता प्रारंभ होने से सात दिन पूर्व आयोजन–सचिव तथा प्रतियोगिता में प्रथम मैच खेलने वाली टीम को सूचित करना अनिवार्य है, अन्यथा रू.300/– सचिव, बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स को पेनेल्टी के रूप में देय होगा।

4. जिन खेलों में प्रतियोगिता वजन/इवेंट के आधार पर आयोजित की जाती है उसमें विस्तृत प्रविष्टि प्रतियोगिता प्रारंभ के 7 दिन पूर्व आयोजन सचिव को अवष्य भेजें।

प्रतियोगिता संचालन

1. अंतर–विष्वविद्यालय प्रतियोगिता आयोजित करने के इच्छुक महाविद्यालय इससे संबंधित प्रस्ताव नियत प्रारूप में खेल मैदानों, निवास व्यवस्था, उपलब्ध वित्त, योग्य निर्णायकों की व्यवस्था आदि विवरण के साथ 15 दिसम्बर तक सचिव, बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स को भेजें। अध्यक्ष/सचिव/इनके द्वारा नामांकित सदस्य आवष्यकता होने पर उपर्युक्त व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने हेतु जा सकते हैं। परंतु अंतर–महाविद्यालय प्रतियोगिता आयोजन हेतु उपरोक्त विवरण सहित प्रस्ताव 15 मार्च तक अवष्य भेजे जायें। इन प्रस्तावों पर महाविद्यालय के प्रधान के हस्ताक्षर अनिवार्य है।

2. अंतर–महाविद्यालय प्रतियोगिता का आबंटन, प्रतियोगिता की तिथि आदि बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स की एक्जीक्यूटिव कमेटी निष्चित करेगी।

3. प्रतियोगिता के सफल आयोजन का सम्पूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रधान का होगा। महाविद्यालय प्रधान आयोजन–समिति, विभिन्न समितियों का गठन कर सकता है तथा आयोजन सचिव (जहां तक संभव हो महाविद्यालय खेल अधिकारी) नामांकित करेगा।

4. प्रतियोगिता का आयोजन बोर्ड द्वारा निष्चित तिथियों में ही किया जाए। विषिष्ट परिस्थितियों में अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स तिथियों में बदलाव कर सकता है।

5. जिस महाविद्यालय ने प्रतियोगिता आयोजन हेतु अपना निवेदन भेजा है, तथा उसको आयोजन हेतु वह प्रतियोगिता आबंटित कर दी गई है, अगर इसके पश्चात् उस प्रतियोगिता को आयोजन करने में वह अपनी असमर्थता प्रकट करता है तो रू. 5000/– की पेनल्टी बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स को देय होगी। क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए मना नहीं किया जा सकेगा।

6. प्रतियोगिता में विभिन्न भारतीय खेल संघों के नियम जोकि ए.आई.यू. द्वारा मान्य है, लागू होंगे। खिलाड़ीयों की सख्या भी इन्हीं नियमों के अनुसार ही होगी।

7. प्रतियोगिता आयोजन हेतु महिला वर्ग में कम से कम तीन तथा पुरूष वर्ग में कम से कम चार टीमों की प्रविष्टि होना अनिवार्य है। प्रतियोगिता में प्रविष्टि की अंतिम तिथि के अगले दिन ड्रॉ बनाई जाएगी। जिसमें भाग लेने वाली टीमों के प्रतिनिधि अपने/महाविद्यालय के खर्चे पर भाग ले सकते हैं। आयोजन सचिव ड्रॉ की प्रति सभी भाग लेने वाली टीमों को अविलम्ब भेजेगा तथा प्रत्येक टीम को उनके प्रथम मैच का विवरण टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।

8. प्रतियोगिता का आयोजन जहां तक संभव हो कम से कम समय में किया जाए। किसी टीम को उसके आगामी मैच खेलने से पूर्व जहां तक संभव हो कम से कम चार घंटे विश्राम का समय मिले तथा सेमी–फाइनल एवं फाइनल मैच उसी दिन नहीं खेले जाये।

9. गतवर्ष की प्रथम चार टीमों को ड्रॉ में "सीडींग" दी जाएगी। विजेता को सबसे नीचे, उपविजेता को सबसे ऊपर, "सेमीफाइनलिस्ट" को गतवर्ष के उल्टे अर्द्धभाग में (ऊपरी अर्द्धभाग के अंत में तथा नीचे के अर्द्धभाग के प्रारंभ में) रखा जाएगा। इसी प्रकार लीग–आधार पर होने वाले मैचों में गतवर्ष के विजेता व उपविजेता अलग–अलग पूल में होंगे, सेमीफाइनलिस्ट को अलग–अलग पूल में रखा जाएगा। अगर गतवर्ष की प्रथम चार टीमों में से किसी टीम ने अपनी प्रविष्टि नहीं भेजी है तो उस "क्वॉटर" में टीमें लॉटरी द्वारा तय की जाएगी।

10. अगर भाग लेने वालों की संख्या 5 तक है तो मैच लीग–आधार पर खेले जाएगे; अगर यह संख्या 7 तक है तो मैच लीग–कम–नॉकआउट आधार पर खेले जाएगे। इससे अधिक सख्या होने पर क्वॉटर–फाइनल तक मैच नॉकआउट आधार पर तथा सेमी–फाइनल में पहुंचने वाली 4 टीमों में मैच लीग–आधार पर होंगे।

11. आयोजन करने वाला महाविद्यालय भाग लेने वालों के लिए निःषुल्क ठहरने की व्यवस्था तथा मैच के समय चिकित्सक की व्यवस्था अनिवार्य रूप से प्रदान करेगा। यद्यपि अन्य सुविधाएं जैसे परिवहन सुविधा (रेल्वे स्टेषन से ठहरने के स्थान तक तथा वापिस, ठहरने के स्थान से मैच के स्थान तक तथा वापिस), खाने की व्यवस्था, भ्रमण आदि की व्यवस्था नियत शुल्क पर उपलब्ध करवाएगा।

12. टीम को बिना किसी मैनेजर/कोच के प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। मैनेजर/कोच उस महाविद्यालय का स्थाई कर्मचारी होना अनिवार्य है। जहां तक संभव हो महिला टीम के साथ महिला मैनेजर/कोच को ही भेजा जाए।

13. विद्यार्थियों को कहने पर उनके महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित परिचय–पत्र दिखाना अनिवार्य है।

14. प्रतियोगिता के आयोजक को जहां तक संभव हो, प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पूर्व टीमों के मैनेजर/कोच, निर्णायकों की मीटिंग करनी चाहिए ताकि उनके संषयों का समाधान तथा वे नवीनतम नियमों से अवगत हो सके।

15. अंतर–महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में निर्णयन शुल्क निम्न होगा:–

a) टीम खेल – रू.100/– (प्रतिमैच)

b) क्रिकेट – रू.700/–

c) व्यक्तिगत खेल – रू.200/–

d) एथेलेटिक्स – रू.200/–

16. जहां नियमों के बारे में स्पष्टीकरण की आवष्यकता हो या नियमों में उस विषय में कुछ भी न हो, आयोजन सचिव, बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स के सचिव से दिषा निर्देष/निर्णय प्राप्त करेंगे।

17. प्रतियोगिता में अनुषासन भंग/दुर्व्यवहार आदि से संबंधित कृत्यों के लिए सजा की सिफारिष अनुषासन–समिति करेगी। जिसमें निम्न सदस्य भी होंगे:– संस्थाप्रधान, प्रतियोगिता का आयोजन सचिव, विष्वविद्यालय पर्यवेक्षक।

18. जिस प्रतियोगिता में विष्वविद्यालय टीम भाग ले रही है, उस प्रतियोगिता में महाविद्यालय/संस्थान/विष्वविद्यालय छात्र का प्रथम दायित्व है कि वह विष्वविद्यालय टीम के प्रति खेलें, न कि किसी अन्य संस्थान की टीम से खेलें। ऐसा नहीं करने पर विष्वविद्यालय उस खिलाड़ी के विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही कर सकता है।

प्रोटेस्ट

1. आयोजक महाविद्यालय का प्रधान मुख्य निर्णायक के रूप में होगा। उसका निर्णय सभी परिस्थितियों में अंतिम तथा मान्य होगा। वह प्रतियोगिता हेतु योग्य एवं निष्पक्ष निर्णायक उपलब्ध कराने का हरसंभव प्रयास करेगा। किसी निर्णायक के लिए भाग लेने वाली टीम आपत्ति नहीं कर सकती है।

2. मैदान, उपकरण, सामान, निर्णायकों संबंधित कोई भी प्रोटेस्ट मान्य नहीं होगा।

3. अगर कोई प्रोटेस्ट निर्णायक के निर्णय, के विरूद्ध जो नियमों से संबंधित है, किया जाता है तो वह मैच समाप्ति के एक घंटे में आयोजन सचिव को प्रोटेस्ट तथा प्रोटेस्ट फीस (रू. 500) जमा करवाकर रसीद प्राप्त करनी चाहिए। अगर प्रोटेस्ट मान्य हुआ तो उपरोक्त फीस पुनः भुगतान कर दी जाएगी।

4. अगर कोई टीम मैच के दौरान 'अंडर प्रोटेस्ट' मैदान छोड़ती है तो उस टीम का प्रोटेस्ट करने का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा।

5. विष्वविद्यालय पर्यवेक्षक, बोर्ड की खेल–समिति के सदस्य (अगर उपस्थित है तो) प्रोटेस्ट कमेटी के 'एक्स–ऑफिसीयो' सदस्य होंगे।

विश्वविद्यालय टीम का चयन

1. विष्वविद्यालय टीम का चयन बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स की गेम कमेटी द्वारा किया जाएगा, जिसमें शामिल है:–

   a) अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स द्वारा नामांकित संबंधित खेल का चैयरमेन।

   b) बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स के अध्यक्ष द्वारा इस खेल के लिए नामांकित बोर्ड का एक शारीरिक षिक्षक।

   c) विष्वविद्यालय के कुलपति द्वारा उस खेल के लिए नामांकित एक्सपर्ट। अंतर–महाविद्यालय प्रतियोगिता के समय विष्वविद्यालय टीम का चयन किया जाता है, अथवा किसी महाविद्यालय को मात्र सलेक्षन ट्रायल आयोजन हेतु बोर्ड द्वारा अनुमति दी जाती है तो उपर्युक्त समिति के सदस्य अथवा उन सदस्यों द्वारा नामांकित सदस्यों में निम्न सदस्य एक्स–ऑफिसियों शामिल होंगे:

   d) आयोजनकर्ता महाविद्यालय का प्रधान,

   e) विष्वविद्यालय के पर्यवेक्षक,

   f) प्रतियोगिता का आयोजन–सचिव

2. आयोजन सचिव इन प्राथमिक खिलाड़ीयों की सूची, उनके महाविद्यालय के नाम, मोबाईल नंबर पर्यवेक्षक को देगा तथा उन खिलाड़ियों का सम्पूर्ण विवरण एक पात्रता–प्रारूप में भरकर स्वयं तथा आयोजनकर्ता महाविद्यालय के प्रधान द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पर्यवेक्षक को देगा।

3. जिन खेलों में महाविद्यालय प्रतियोगिता या सलेक्षन–ट्रायल किसी महाविद्यालय द्वारा आयोजित नहीं किए गए हैं, उनमें विष्वविद्यालय टीम चयन हेतु सलेक्षन–ट्रायल बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स करेगा।

4. सलेक्षन–ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स द्वारा किसी प्रकार के व्यय का भुगतान नहीं करेगा।

5. विष्वविद्यालय प्रषिक्षण–षिविर के लिए तथा अंतर विष्वविद्यालय/अन्य प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु जिन खिलाड़ियों को बुलाया जाता है, उनको बोर्ड के नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

पर्यवेक्षकों के कर्त्तव्य

1. प्रतियोगिता में विष्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हुए आयोजकों को तकनीकी एवं अन्य सहायता प्रदान करना। इसके लिए पर्यवेक्षकों को प्रारंभ होने की तिथि से एक दिन पूर्व प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचना चाहिए।

2. प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पूर्व खेल मैदानों, प्रतियोगिता स्थल तथा खेल उपकरणों की जांच कर यह सुनिष्चित करना चाहिए कि सभी तकनीकी व्यवस्था नियमानुसार है। अगर कमी हो तो आयोजन–सचिव को उसके दुरस्त करने का आग्रह करना।

3. यह सुनिष्चित करना कि प्रतियोगिता का संचालन विष्वविद्यालय के नियमानुसार हो रहा है।

4. विश्वविद्यालय टीम के लिए चयनित खिलाडीयों की सूची तथा अन्य विवरण तथा पात्रता–प्रारूप पर आयोजन–सचिव हस्ताक्षर करके ये सब विष्वविद्यालय पर्यवेक्षक को देगा, इसके साथ ही उन खिलाड़ीयों के टेलिफोन/मोबाईल नंबर भी पर्यवेक्षक को देगा। पर्यवेक्षक यह सब अविलम्ब सचिव, बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स को सौंप देगा।

5. प्रतियोगिता की ट्रॉफी जिस टीम को दी गई है, उसकी प्राप्ति की रसीद पर टीम मैनेजर/कोच के हस्ताक्षर तथा उसको प्रमाणित करने के हस्ताक्षर महाविद्यालय के प्रधान करके, वह रसीद पर्यवेक्षक को दी जाएगी।

6. चयनित विष्वविद्यालय टीम का स्तर कैसा है? इस बारे में अपनी राय बोर्ड को देना।

7. पर्यवेक्षकों को यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते विष्वविद्यालय नियमानुसार देय होंगे।

8. प्रतियोगिता समाप्ति से सात दिन के अंदर पर्यवेक्षक प्रतियोगिता प्रतिवेदन सचिव, बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स को प्रस्तुत करेगा। जिसमें निम्न विवरण देना अनिवार्य है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की सूची, प्रतियोगिता में प्रविष्टि दी परंतु भाग नही लेने वाली टीमों की सूची, ड्रॉ की प्रति, प्रतियोगिता के परिणामों का विवरण, आवास, पानी, शौचालय, चिकित्सा, मैदानों तथा निर्णायकों का स्तर एवं व्यवस्था के बारे में अपनी राय एवं विकास के सुझाव, प्रोटेस्ट तथा उनके निर्णय का विवरण, अनुषासन भंग संबंधी कृत्यों का विवरण, प्रतियोगिता के दौरान जारी बुलेटीन अथवा स्मारिका की प्रति आदि। प्रतियोगिता प्रतिवेदन तथा ट्रॉफी प्राप्ति रसीद यात्रा भत्ता बिल देने के पूर्व सचिव को देना अनिवार्य है।

ट्रॉफीयां एवं प्रमाण–पत्र

1. बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स विभिन्न खेलों/स्पोर्ट्स के लिए स्वयं/दानदाताओं से 'रनिंग ट्रॉफी' स्वीकार कर सकता है। जोकि बाद में विष्वविद्यालय की सम्पत्ति होगी। प्रतियोगिता का आयोजक महाविद्यालय, प्रतियोगिता में विभिन्न स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को नियत ट्रॉफी प्रदान करके उनके मैनेजर से ट्रॉफी प्राप्ति रसीद प्राप्त कर, उस पर आयोजन सचिव तथा महाविद्यालय प्रधान प्रमाणित करेंगे उसके पश्चात् वह रसीद विष्वविद्यालय पर्यवेक्षक को सौंप देंगे।

2. ट्रॉफी प्राप्त करने वाले महाविद्यालय के प्रधान का ट्रॉफी को सुरक्षित रखने का दायित्व होगा तथा उस ट्रॉफी को अगले वर्ष के आयोजक को ट्रॉफी को अच्छी स्थिति, पॉलिष करवाकर प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पूर्व पहुंचाने का दायित्व भी होगा, अन्यथा उस विष्वविद्यालय को प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।

3. अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के प्रमाण–पत्र आयोजकों द्वारा ही दिए जाएंगे, जिनमें निम्न विवरण होना अनिवार्य है:– खिलाड़ी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, महाविद्यालय का नाम, खेल का नाम, प्रतियोगिता में स्थान, प्रतियोगिता की तिथियां आदि। प्रमाण–पत्रों पर आयोजक महाविद्यालय के प्रधान/आयोजन समिति अध्यक्ष, आयोजन–सचिव तथा विष्वविद्यालय पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रमाण–पत्र के पीछे 'जांच एवं सत्यापित' की रबड़ स्टाम्प लगाकर आयोजन–सचिव तथा विष्वविद्यालय पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करने के पश्चात् ही वितरीत किए जाएंगे।

4. अगर आयोजक प्रतियोगिता के विभिन्न स्थान प्राप्तकर्ताओं को मेडल/ईनाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

5. अंतर–विष्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ीयों को प्रमाण–पत्र बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स प्रदान करेगा जिसपर बोर्ड के अध्यक्ष तथा सचिव के हस्ताक्षर होंगे।

प्रतियोगिता के लिए वित्तीय अंशदान

A. खेलकूद गतिविधियों का प्रोत्साहित एवं विकास करने हेतु बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स अंतर–महाविद्यालय प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए आयोजक महाविद्यालय को निम्न वित्तीय अंषदान देगा, यह राषि बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स द्वारा समय–समय पर बदली जा सकती है:–

1.	एथेलेटिक्स (पुरूष व महिला)	–	60,000रू.
2.	बैडमिंटन (पुरूष व महिला)	–	16,000रू.
3.	बास्केटबॉल (पुरूष)	–	22,000रू.
4.	शतरंज	–	10,000रू.
5.	क्रिकेट (पुरूष)	–	25,000रू.
6.	हैंड बॉल (पुरूष व महिला)	–	25,000रू.
7.	हॉकी (पुरूष)	–	22,000रू.
8.	कबड्डी (पुरूष)	–	18,000रू.
9.	फुटबॉल (पुरूष)	–	22,000रू.
10.	टेनिस (पुरूष व महिला)	–	16,000रू.
11.	टेबल–टेनिस (पुरूष व महिला)	–	10,000रू.
12.	वॉलीबॉल (पुरूष)	–	22,000रू.

13.	वेट लिफ्टिंग, पॉवर लिफ्टिंग, बेस्ट फिजिक	–	15,000रू.
14.	क्रोस–कंट्री (पुरूष व महिला)	–	10,000रू.
15.	कुश्ती (पुरूष)	–	12,000रू.
16.	खो–खो (पुरूष)	–	15,000रू.
17.	सोफ्ट बॉल (पुरूष)	–	10,000रू.
18.	मुक्केबाजी (पुरूष)	–	10,000रू.
19.	बास्केटबॉल (महिला)	–	10,000रू.
20.	हॉकी (महिला)	–	10,000रू.
21.	कबड्डी (महिला)	–	10,000रू.
22.	खो–खो (महिला)	–	10,000रू.
23.	वॉलीबॉल (महिला)	–	10,000रू.
24.	मुक्केबाजी (महिला)	–	10,000रू.
25.	क्रिकेट (महिला)	–	10,000रू.
26.	मात्र सलेक्शन ट्रायल	–	5,000रू.
			4,25,000रू.

B. इस अनुदान को निम्न व्ययों हेतु उपयोग में लिया जा सकेगा: आवासीय व्यवस्था, प्रतियोगिता हेतु अतिरिक्त श्रमिकों को भुगतान, प्रतियोगिता संबंधी प्रिंटिग, पोस्टेज, स्टेषनरी, फोटोकॉपी, टेलिफोन, प्रतियोगिता के लिए मंत्रालयिक एवं श्रम कर्मचारियों को अतिरिक्त समय कार्य करने हेतु भुगतान, प्रतियोगिता के लिए सामियाना, बैठक व्यवस्था, सजावट तथा माइक, प्रतियोगिता के लिए प्रेस, पब्लिसिटी, प्रतियोगिता के दौरान मैदान लाईनिंग तथा रख–रखाव, निर्णायकों का यात्रा/दैनिक भत्ता, प्रतियोगिता की समितियों, स्वयंसेवक, अधिकारियों आदि को रिफ्रेषमेंट आदि।

C. वित्तीय अंषदान में से किसी प्रकार का स्थाई प्रकृति का व्यय का भुगतान मान्य नहीं होगा।

D. बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स अंषदान से अधिक व्यय होने पर उसका भुगतान नहीं करेगा।

E. वित्तीय अंषदान का ऑडिट महाविद्यालय के प्रधान अथवा उस द्वारा नामांकित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। आयोजन–सचिव ऑडिट करवाने के बाद प्रतियोगिता समाप्त होने के दस दिन में "यूटीलाइजेषन सर्टिफिकेट" सचिव बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स को भेजेगा। ऐसा न करने पर शेष 50 प्रतिषत अंषदान जब्त हो जाएगा।

UTILISATION CERTIFICATE

Certified that a sum of Rs..... (Rs.....) was given to ..... by the Board of Sports, J. N. V. University, Jodhpur as grant-in-aid for organising the Inter-College ..... Tournament/Meet (Men/Women) for the session ..... which was fully utilised or spent for the purpose it was given.

It is further, certified that a sum of Rs. ..... in total has been spent by this college/institution to organise the said tournament/meet. The balance of remaining 50% grant-in-aid may please be released. Detailed account of the Tournament has been audited and can be inspected by the University if required.

Head of the Institution/College
With Seal

Organising Secretary
With Seal